न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–399 / 2026
सालिमपुर थाना कांड संख्या–324 / 2025
अंतर्गत धारा–115(2), 126(2), 109, 351(2), 352, 3(5) बीएनएस

04.06.2026 याचिकाकर्ता 1. छोटू कुमार उर्फ छोटू महतो की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–482 के अंतर्गत दिनांक–24.04.2026 को अग्रिम जमानत याचिका पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषि कुमार पासवान तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। जोकि, अंतर्गत धारा–115(2), 126(2), 109, 351(2), 352, 3(5) बीएनएस से संबंधित सालिमपुर थाना कांड संख्या–324 / 2025, दिनांक–16.11.2025, के नामित अभियुक्त हैं तथा इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। याचिकाकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत याचिका को प्रचालित करते हुए कहते हैं कि, आवेदक की ओर से पूर्व में सत्र न्यायालय या मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अग्रिम या नियमित जमानत याचिका दायर नहीं की गई है। आवेदक के विरूद्ध इस कांड के अलावा दो अन्य अपराधिक मामले लंबित है, जिनमें वे जमानत पर हैं। आवेदक निर्दोष हैं, इनके द्वारा कथित अपराध–कारित नहीं किया गया है। आवेदक के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। सह अभियुक्त–रौशन महतो को नियमित जमानत इस न्यायालय द्वारा दिया गया है तथा कुंदन महतो एवं मोहन कुमार उर्फ मोहन महतो को अग्रिम जमानत इस न्यायालय द्वारा दिया गया है। इस वाद में आवेदक के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने एवं बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः, प्रार्थना करते हैं कि आवेदक अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा जमानत आवेदन का घोर विरोध किया गया।

उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन घटना संक्षेप में यह है कि, इस वाद के सूचक–तुलसी महतो, दिनांक–09.11.2025 को 11.00 बजे दिन में अपने घर से बाहर था, तभी मोहन महतो हंसी–मजाक में एक पत्थर सूचक के उपर फेंका, जो उसके पैर में लग गया और उसे चोट लग गई तथा वह गाली देने लगा, इसी पर छोटू महतो, कुंदन महतो एवं रौशन महतो सूचक को गाली देने लगे और जान मारने की नियत से रड एवं लाठी–डंडे से सिर पर मारने लगे। जब, वह स्वयं को बचाने के लिए हाथ को उपर किया तो छोटू महतो उसके दाएं हाथ पर जोर से मारा, जिससे उसका हाथ टूट गया एवं अन्य लोग लाठी–डंडे से मारने लगे, जिससे उसको चोट लगी। परिजन के द्वारा उसको ईलाज–हेतु N.M.C.H., पटना ले जाया गया।

कांड दैनिकी के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, कंडिका–2 में सूचक ने घटना का समर्थन किया है। कंडिका–13 में सूचक का भाई–टुन्ना महतो ने भी घटना का समर्थन किया है। कंडिका–14 में साक्षी–रेणु देवी और कंडिका–15 में साक्षी–अनील महतो ने भी घटना का समर्थन करते हुए बताया है कि, मार–पीट में आवेदक–छोटू के मारने पर सूचक–तुलसी महतो का हाथ टूट

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–399 / 2026
सालिमपुर थाना कांड संख्या–324 / 2025
अंतर्गत धारा–115(2), 126(2), 109, 351(2), 352, 3(5) बीएनएस

लगातार

04.06.2026

गया। कांड दैनिकी के कंडिका–50 में सूचक का जख्म–प्रतिवेदन है, जिसमें सूचक के जख्म की प्रकृति गंभीर बताई गई है, जिसको मारने का विशिष्ट आरोप छोटू कुमार उर्फ छोटू महतो पर है। कांड दैनिकी के कंडिका–53 में आवेदक अभियुक्त का अपराधिक इतिहास है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि, इनके विरूद्ध अन्य मामले भी लंबित हैं।

अभिलेख के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, कुंदन महतो एवं मोहन कुमार उर्फ मोहन महतो को अग्रिम जमानत का लाभ साथ ही रौशन महतो को नियमित जमानत का लाभ दिया गया क्योंकि उनके विरूद्ध भी कोई विशिष्ट आरोप नहीं था एवं उनके द्वारा कारा में बिताई गई अवधि को देखते हुए दिया गया था। इस आवेदक के विरूद्ध सूचक को मारकर हाथ तोड़ने का विशिष्ट आरोप है एवं सभी साक्षियों ने भी यह कहा है कि, जान मारने की नियत से इस प्रकार का हमला किया गया है। सूचक को एक से अधिक जख्म–कारित हुआ है।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा विशिष्ट आरोप और अपराधिक इतिहास को देखते हुए आवेदक अभियुक्त–1. छोटू कुमार उर्फ छोटू महतो को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः, अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित / शुद्धित

Sd/-

(विवेक भारद्वाज)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़